न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ईन्दपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/120/18 निर्णय दिनांक : 21.06.2018

उनवान

1. गोपाल पुत्र श्योदान जाति सैनी निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. धनीराम पुत्र टिल्लुराम जाति सैनी निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. सपना धर्म पत्नी सुरेश जाति जाटव निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

......................प्रतिवादीगण

3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ।

...................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 786 रकबा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के अलावा किसी शख्स का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज शख्स है। विवादित आराजी के पास ही प्रतिवादी सं0 1 की आराजी है और वोह प्रतिवादी सं0 2 जो कि वर्तमान सरपंच है से मिला हुआ हैं जो वादी को उसकी आराजी पर चैन से काश्त नही करने देते है और आये दिन विवादित आराजी से वादी को जबरन बेदखल करने व अपना जबरन कब्जा करने व निर्माण करने को उतारू हो जाते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वोह विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 786 रकबा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार का जबरन निर्माण कार्य नही करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को पेश हुई।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम ईन्दपुर से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 571 रकबा 0.51 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार का जबरन निर्माण कार्य नही करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर की नियमानुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। सचिव ग्राम पंचायत ईन्दपुर बाद पैमाईश ही निर्माण कार्य करावें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ईन्दपुर में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ईन्दपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 120 / 18 निर्णय दिनांक : 21.06.2018

उनवान

1. गोपाल पुत्र श्योदान जाति सैनी निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. धनीराम पुत्र टिल्लुराम जाति सैनी निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. सपना धर्म पत्नी सुरेश जाति जाटव निवासी ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

......................प्रतिवादीगण

3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ।

..................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 571 रकबा 0.51 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार का जबरन निर्माण कार्य नही करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर की नियमानुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। सचिव ग्राम पंचायत ईन्दपुर बाद पैमाईश ही निर्माण कार्य करावें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)